भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/विवि/2025-26/376

विवि.एफआईएन.आरईसी.सं.295/20-16-003/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ - इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का निर्वाहन) निदेश, 2025

विषय सूची

अध्याय I - प्रारंभिक 3
अध्याय II - इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं की रिपोर्टिंग 4
अध्याय III - निरसन और अन्य प्रावधान 7
अनुबंध I - बड़े चूककर्ताओं की सूची प्रस्तुत करने का प्रारूप.....9
अनुबंध II - इरादतन चूक के मामलों का डेटा प्रस्तुत करने का प्रारूप 12

परिचय

इन निदेशों का उद्देश्य इरादतन चूककर्ताओं की क्रेडिट संबंधी जानकारी का प्रसार करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना भी है ताकि ऋणदाताओं को आगाह किया जा सके और सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें आगे संस्थागत वित्त उपलब्ध नहीं कराया जाए।

तदनुसार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 12 तथा क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक एवं समीचीन है, इसके द्वारा, आगे निर्दिष्ट ये निर्देश जारी करता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां - इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का निरूपण) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. प्रयोज्यता

(1) ये निदेश आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (जिन्हें सामूहिक रूप से 'एआरसी/यां ' और व्यक्तिगत रूप से 'एआरसी' कहा जाएगा) पर लागू होंगे।

(2) इरादतन चूककर्ताओं के लिए आगे की वित्तीय सुविधा पर प्रतिबंध और बड़े चूककर्ताओं के संबंध में प्रावधान, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं पर लागू होंगे, भले ही वे इन निदेशों में दिए गए 'ऋणदाता' की परिभाषा के अंतर्गत आते हों या नहीं।

3. परिभाषाएं

(1) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का निरूपण) निदेश, 2025 *में निहित परिभाषाएँ, यथावश्यक परिवर्तनों सहित,* एआरसी पर लागू होंगी।

(2) ऋण के हस्तांतरण का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - क्रेडिट जोखिम का हस्तांतरण और वितरण) निदेश, 2025 के अनुसार किया गया हस्तांतरण होगा और इसलिए, *"हस्तांतरण", "हस्तांतरणकर्ता"* और *"हस्तांतरिती"* शब्दों का उसमें समान अर्थ होगा।

(3) अन्य सभी अभिव्यक्तियों का, जब तक कि यहां परिभाषित न किया गया हो, वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 अथवा क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005, अथवा कंपनी अधिनियम, 2013, अथवा किसी वैधानिक संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अन्य विनियमों अथवा रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित शब्दावली अथवा वाणिज्यिक बोलचाल में प्रयुक्त, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत दिया गया है।

अध्याय II - इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं की रिपोर्टिंग

4. बड़े चूककर्ताओं की क्रेडिट सूचना की रिपोर्टिंग और प्रसार

(1) एआरसी बड़े चूककर्ताओं के संबंध में सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को मासिक अंतराल पर अनुबंध I में दी गई जानकारी प्रस्तुत करेगा:

(i) बड़े चूककर्ताओं के विरुद्ध वाद दाखिल खातों की सूची ; और

(ii) बड़े चूककर्ताओं के गैर-वाद दाखिल खातों की सूची, जिनके खाते को संदिग्ध या हानि खाते के रूप में वर्गीकृत किया गया है (रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार)।

(2) ₹1 करोड़ की सीमा की गणना के लिए, अप्रयुक्त ब्याज, यदि कोई हो, को भी शामिल किया जाएगा। वाद-दाखिल किए गए खातों के मामले में, सीमा उस राशि से संबंधित होगी जिसके लिए वाद दाखिल किया गया है।

5. इरादतन चूककर्ताओं की क्रेडिट सूचना की रिपोर्टिंग और प्रसार

(1) जिस एआरसी में खाता स्थानांतरित किया गया है उसे सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को इरादतन चूककर्ताओं की मासिक अंतराल पर अनुबंध II में दी गई जानकारी प्रेषित करनी होगी :

(i) वाद-दाखिल खातों के इरादतन चूककर्ताओं (एलडब्ल्यूडी) की सूची

(ii) गैर-वाद दाखिल खातों की एलडब्ल्यूडी

(2) एआरसी, जिसे खाता स्थानांतरित किया गया है, इरादतन चूककर्ता का नाम हटाने के बारे में सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को तत्काल, और उस तारीख से तीस दिनों के भीतर सूचित करेगा जब बकाया राशि 25 लाख रुपये की सीमा से कम हो जाती है या जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, जो कि पैरा 6(2) के अधीन होगा।

6. समझौता निपटान का निर्वाहन

(1) एलडब्ल्यूडी में शामिल कोई भी खाता, जहां एआरसी ने उधारकर्ता के साथ समझौता निपटान किया है, एलडब्ल्यूडी से तभी हटाया जाएगा जब उधारकर्ता द्वारा समझौता राशि का पूर्ण भुगतान किया गया हो।

(2) जब तक केवल आंशिक भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक उधारकर्ता का नाम एलडब्ल्यूडी से नहीं हटाया जाएगा, भले ही बकाया राशि 25 लाख रुपये की सीमा से कम हो या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई सीमा से कम हो।

(3) इरादतन चूककर्ता के साथ समझौता निपटान, एआरसी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होगा। इस नीति में कर्मचारियों की जवाबदेही की जाँच, समझौते/निपटान की सूचना बोर्ड को देना, यदि कोई हो, तो उच्च अग्रिम भुगतान आदि संबंधी दिशानिर्देश शामिल होंगे। समझौता निपटान इरादतन चूककर्ता के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही जारी रखने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(4) ऐसे मामलों में जहां एआरसी समझौते की शर्तों का पालन न करने के कारण समझौता निपटान को रद्द करने का निर्णय लेता है और उधारकर्ता द्वारा देय राशि को संशोधित करता है, रिपोर्टिंग संशोधित राशि के संदर्भ में होगी।

7. हस्तांतरित चूक वाले ऋणों का निर्वाहन

(1) वह एआरसी, जिसे कोई ऋण **हस्तांतरित** किया गया है, जिसमें इरादतन चूक देखी गई है, ऐसे हस्तांतरण के बाद एलडब्ल्यूडी में क्रेडिट सूचना कंपनियों को इसकी रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार होगी।

(2) एआरसी, जो ऐसे ऋण के मामले में अंतरणकर्ता है जिसमें इरादतन चूक की गई है, उस खाते को तब तक इरादतन चूककर्ता के रूप में रिपोर्ट करना जारी रखेगा जब तक कि उसके खाते में वसूल की जाने वाली शेष राशि और अंतरणकर्ता द्वारा बट्टे खाते में डाली गई राशि 25 लाख रुपये की सीमा से नीचे नहीं आ जाती या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाती है, जैसाकि पैराग्राफ 6 में निहित प्रावधानों के अधीन है।

8. उन खातों का निर्वाहन जहां समाधान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) / रिज़र्व बैंक द्वारा जारी समाधान रूपरेखा दिशानिर्देशों के अंतर्गत किया जाता है

(1) यदि कोई खाता एलडब्ल्यूडी में शामिल है और बाद में उसका परिसमापन हो गया है या जहां समाधान [या तो आईबीसी के तहत या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी समाधान रूपरेखा निदेशों के तहत] के परिणामस्वरूप इकाई/व्यावसायिक उद्यम के प्रबंधन और नियंत्रण में परिवर्तन होता है, तो ऐसे उधारकर्ता या गारंटर का नाम जिसे इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया था [जिसमें कंपनी के मामले में, उसके प्रवर्तक और निदेशक, और इकाई (कंपनियों के अलावा) के मामले में, वे व्यक्ति जो इकाई के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं], आईबीसी के तहत समाधान योजना या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी समाधान रूपरेखा निर्देशों के कार्यान्वयन के बाद एलडब्ल्यूडी से हटा दिया जाएगा।

9. सही रिपोर्टिंग की ज़िम्मेदारी

(1) सही जानकारी देने और तथ्यों व आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी, रिपोर्टिंग एआरसी की है।

(2) क्रेडिट सूचना कंपनियों को सूचना प्रदान करते समय, एआरसी द्वारा निदेशकों के विवरण की सटीकता सुनिश्चित की जाएगी तथा जहां तक संभव हो, कंपनी रजिस्ट्रार के पास अनुरक्षित डाटाबेस के साथ क्रॉस-चेकिंग की जाएगी।

10. गारंटरों की रिपोर्टिंग

(1) एआरसी द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियों को उन गारंटरों का विवरण प्रेषित करना होगा जो अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहे हैं और जिन्हें बड़े चूककर्ता / इरादतन चूककर्ता के रूप में, जैसा भी मामला हो, घोषित किया गया है। विवरण अनुबंध I और II के अनुसार प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

अध्याय III - निरसन और अन्य प्रावधान

11. निरसन और बचाव

(1) यह निदेश जारी होने के साथ, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों पर लागू इरादतन चूककर्ता और बड़े चूककर्ता के निर्वाहन से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो गए हैं, जैसा कि परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 दिनांक 28 नवंबर 2025 के माध्यम से सूचित किया गया है। उपरोक्त अधिसूचना में सूचीबद्ध किसी भी निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देशों के माध्यम से पहले से ही निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त बने रहेंगे।

(1) ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त निदेश, अनुदेश या दिशानिर्देशों के अंतर्गत की गई या की जाने वाली या आरंभ की गई कोई भी कार्रवाई, उनके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के अंतर्गत दिए गए सभी अनुमोदन या स्वीकृतियाँ इन निर्देशों द्वारा शासित मानी जाएँगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के निरसन से निम्नलिखित पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

(i) इसके अंतर्गत अर्जित, उपार्जित या उपगत कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;
(ii) इसके अंतर्गत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई जुर्माना, जब्ती या दंड;
(iii) किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माने, जब्ती या पूर्वोक्त दंड के संबंध में कोई जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार; और ऐसी कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड लगाया जा सकता है मानो कि इन निर्देशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया हो।

12. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

(1) इन निदेशों के प्रावधान वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके प्रतिकूल।

13. व्याख्या

(1) इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, यदि रिज़र्व बैंक को आवश्यक प्रतीत होता है तो इसमें सम्मिलित किसी भी मामले पर आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है और रिज़र्व बैंक द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की दी गई व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(जे. पी. शर्मा)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध I – बड़े चूककर्ताओं की सूची प्रस्तुत करने का प्रारूप

₹1 करोड़ और उससे अधिक (वाद दाखिल और गैर-वाद दाखिल खाते) के बड़े चूककर्ताओं की सूची का मासिक आधार पर सभी सीआईसी को प्रस्तुत करने का प्रारूप

फील्ड	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	अधिकतम फील्ड लंबाई	विवरण	टिप्पणी
1.	रिपोर्टिंग साइकिल	अल्फा न्यूमरिक	5	वह महीना जिसके लिए डेटा रिपोर्ट किया गया है।	जनवरी 2024 महीने के लिए रिपोर्टिंग चक्र डेटा 'JAN24' के रूप में भरा जाना चाहिए
2.	सदस्य आईडी	अल्फा न्यूमरिक	10	फ़ील्ड में सीआईसी द्वारा निर्दिष्ट रिपोर्टिंग सदस्य कोड शामिल करना आवश्यक है।	इसमें डेटा रिपोर्ट करने वाले सदस्य की आईडी शामिल है
3.	सदस्य का नाम	कैरेक्टर	200	सदस्य का नाम	इसमें उस सदस्य का नाम अवश्य होना चाहिए जो डेटा रिपोर्ट कर रहा है।
4.	सदस्य शाखा	कैरेक्टर	30	सदस्य की शाखा का नाम	शाखा का नाम दर्ज किया जाना चाहिए।
5.	राज्य	कैरेक्टर	35	राज्य का नाम	उस राज्य का नाम जिसमें शाखा स्थित है।
6.	उधारकर्ता का नाम	अल्फा न्यूमरिक	1000	व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए नाम की न्यूनतम लंबाई 2 अक्षर और गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए 4 अक्षर होनी चाहिए।	उधारकर्ता का कानूनी नाम रिपोर्ट किया जाए।
7.	उधारकर्ता का स्थायी खाता संख्या (पैन)	अल्फा न्यूमरिक	10	10 अक्षर होने चाहिए। पहले पांच अक्षर लेटर होने चाहिए, उसके बाद चार अंक और उसके बाद एक लेटर होना चाहिए।	आयकर विभाग द्वारा परिभाषित स्थायी खाता संख्या (पैन)
8.	उधारकर्ता का पता	अल्फा न्यूमरिक	1000	उधारकर्ता का स्थायी पता / पंजीकृत पता	
9.	बकाया राशि	संख्यात्मक	8	संख्यात्मक मान होना चाहिए	बकाया राशि ₹ लाख में (पूर्णांकित)

10.	वाद (सूट) की स्थिति	संख्यात्मक	2	**वैध मान** **01 -** वाद दाखिल **02 –** गैर-वाद दाखिल	वाद दायर किया गया है या नहीं को इंगित करता है।
11।	आस्ति वर्गीकरण	कैरेक्टर	5	वैध मान **गैर-वाद दाखिल खातों के लिए** संदिग्ध खातों के लिए **'DOUBT'** हानि खातों के लिए **'LOSS'** **वाद-दाखिल खातों के लिए** संदिग्ध खातों के लिए 'DOUBT' हानि खातों के लिए 'LOSS' अवमानक खातों के लिए 'SUBST' मानक खातों के लिए 'STD'	आस्ति वर्गीकरण
12.	आस्ति वर्गीकरण तिथि	अल्फा न्यूमरिक	5	वह महीना जिसमें खाते को **'mmmyy'** प्रारूप में **'DOUBT'/ 'LOSS/ SUBSTD/ STD'** के रूप में वर्गीकृत किया गया था**,** जहां **mmm** का अभिप्राय महीने के पहले **3** अक्षर हैं। वर्गीकरण की तारीख **'**मार्च **2000'** को **'MAR00'** के रूप में भरा जाना चाहिए।	आस्ति वर्गीकरण की तारीख को इंगित करता है
13.	अन्य सदस्य	कैरेक्टर	1000	नाम संक्षिप्त रूप में दिए जा सकते हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए बीओबी, भारतीय स्टेट बैंक के लिए एसबीआई आदि।	**अन्य ऋणदाताओं के नाम भी इंगित किए जाने चाहिए जिनसे उधारकर्ता ने ऋण सुविधा प्राप्त की है।**
14.	निदेशक/प्रवर्तक का नाम	कैरेक्टर	1000	नाम की न्यूनतम लंबाई 2 अक्षर होनी चाहिए	निदेशक/प्रवर्तक का नाम।
15.	निदेशक/प्रवर्तक का डीआईएन	अल्फा न्यूमरिक	8	डीआईएन संख्या की लंबाई 8 होनी चाहिए	निदेशक/प्रवर्तक का डीआईएन।
16.	निदेशक/प्रवर्तक का पैन	अल्फा न्यूमरिक	10	10 अक्षर होने चाहिए। पहले पांच अक्षर लेटर होने चाहिए, उसके बाद	निदेशक/प्रवर्तक का पैन।

				चार अंक और उसके बाद एक लेटर होना चाहिए।	
17.	गारंटर का नाम	कैरेक्टर	1000	नाम की न्यूनतम लंबाई 2 अक्षर होनी चाहिए	गारंटर का पूरा नाम इंगित किया जाना चाहिए।
18.	गारंटर का सीआईएन	अल्फा न्यूमरिक	21	गारंटर इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या	केवल कानूनी इकाइयों के मामले में
19.	गारंटर का पैन	अल्फा न्यूमरिक	10	10 अक्षर होने चाहिए। पहले पांच अक्षर लेटर होने चाहिए, उसके बाद चार अंक और उसके बाद एक लेटर होना चाहिए।	व्यक्तिगत/कानूनी इकाइयों के मामले में

नोट:

- डेटा की रिपोर्टिंग संरचना पंक्ति स्तर पर होगी, जिससे सदस्यों/ऋणदाताओं को उधारकर्ता के एकाधिक निदेशकों और गारंटरों की रिपोर्ट करने में सहायता मिलेगी।
- पूर्णकालिक निदेशक के अलावा स्वतंत्र निदेशक/नामित निदेशक सहित अन्य निदेशक को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
- सरकारी उपक्रमों के मामले में अध्यक्ष/निदेशक आदि का नाम देने के स्थान पर _____ सरकार का उपक्रम' शब्द का प्रयोग करें।
- वाद दाखिल करने तथा गैर-वाद दाखिल करने के लिए अलग-अलग फाइलें प्रस्तुत की जाएंगी।

अनुबंध II – इरादतन चूक के मामलों का डेटा प्रस्तुत करने का प्रारूप

मासिक आधार पर इरादतन चूक के मामलों (वाद दाखिल और गैर-वाद दाखिल खाते) पर सभी सीआईसी को डेटा प्रस्तुत करने का प्रारूप

फील्ड	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	अधिकतम क्षेत्र लंबाई	विवरण	टिप्पणी
1.	रिपोर्टिंग साइकिल	अल्फा न्यूमरिक	5	वह महीना जिसके लिए डेटा रिपोर्ट किया गया है	जनवरी **2024** महीने के लिए रिपोर्टिंग चक्र डेटा '**JAN24'** के रूप में भरा जाना चाहिए
2.	सदस्य का आईडी	अल्फा न्यूमरिक	10	इस फ़ील्ड में सीआईसी द्वारा निर्दिष्ट रिपोर्टिंग सदस्य कोड शामिल करना आवश्यक है।	इसमें डेटा रिपोर्ट करने वाले सदस्य की आईडी शामिल है
3.	सदस्य का नाम	कैरेक्टर	200	नाम सदस्य का	इसमें शामिल होना चाहिए डे टा रिपोर्ट करने वाले सदस्य का नाम .
4.	सदस्य की शाखा	कैरेक्टर	30	सदस्य की शाखा का नाम	शाखा का नाम दर्ज किया जाना चाहिए।
5.	राज्य	कैरेक्टर	35	राज्य का नाम	उस राज्य का नाम जिसमें शाखा स्थित है।
6.	उधारकर्ता का नाम	अल्फा न्यूमरिक	1000	व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए नाम की न्यूनतम लंबाई 2 अक्षर और गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए 4 अक्षर होनी चाहिए।	उधारकर्ता का कानूनी नाम रिपोर्ट किया जाए।
7.	उधारकर्ता का पैन	अल्फा न्यूमरिक	10	10 अक्षर होने चाहिए। पहले पांच अक्षर लेटर होने चाहिए, उसके बाद चार अंक और उसके बाद एक लेटर होना चाहिए।	आयकर विभाग द्वारा परिभाषित स्थायी खाता संख्या (पैन)
8.	उधारकर्ता का पता	अल्फा न्यूमरिक	1000	उधारकर्ता का स्थायी पता / पंजीकृत पता	
9.	बकाया राशि	संख्यात्मक	8	संख्यात्मक मान होना चाहिए	बकाया राशि **₹** लाख में (पूर्णांकित)

10.	वाद (सूट) की स्थिति	संख्यात्मक	02	**वैध मान** 01 - वाद दाखिल 02 – गैर-वाद दाखिल	वाद दाखिल किया गया है या नहीं को इंगित करता है।
11।	अन्य सदस्य	कैरेक्टर	1000	नाम संक्षिप्त रूप में दिए जा सकते हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए बीओबी, भारतीय स्टेट बैंक के लिए एसबीआई आदि।	अन्य ऋणदाताओं के नाम भी इंगित किए जाने चाहिए जिनसे उधारकर्ता ने ऋण सुविधा प्राप्त की है।
12.	निदेशक/प्रमोटर का नाम	कैरेक्टर	1000	नाम की न्यूनतम लंबाई 2 अक्षर होनी चाहिए	निदेशक/ प्रवर्तक का पूरा नाम इंगित किया जाना चाहिए।
13.	निदेशक/ प्रवर्तक डीआईएन	अल्फा न्यूमरिक	8	डीआईएन संख्या की लंबाई 8 होनी चाहिए	निदेशक की 8-अंकीय निदेशक/ प्रवर्तक पहचान संख्या।
14.	डायरेक्टर/ प्रवर्तक का पैन	अल्फा न्यूमरिक	10	10 अक्षर होने चाहिए। पहले पांच अक्षर लेटर होने चाहिए, उसके बाद चार अंक और उसके बाद एक लेटर होना चाहिए।	निदेशक/ प्रवर्तक का पैन।
15.	गारंटर का नाम	कैरेक्टर	1000	नाम की न्यूनतम लंबाई 2 अक्षर होनी चाहिए	गारंटर का पूरा नाम
16.	गारंटर का सीआईएन	अल्फा न्यूमरिक	21	गारंटर इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या	केवल कानूनी इकाइयों के मामले में
18.	गारंटर का पैन	अल्फा न्यूमरिक	10	स्थायी खाता संख्या	व्यक्तिगत / कानूनी संस्थाओं के मामले में

टिप्पणी:

- डेटा की रिपोर्टिंग संरचना पंक्ति स्तर पर होगी, जिससे सदस्यों/ऋणदाताओं को उधारकर्ता के एकाधिक निदेशकों और गारंटरों की रिपोर्ट करने में सहायता मिलेगी।
- डेटा/सूचना सेक्योर फ़ाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल (एसएफटीपी) के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- वाद दाखिल करने तथा गैर-वाद दाखिल करने के लिए अलग-अलग फाइलें प्रस्तुत की जाएंगी।